

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :- 6/रा0ग्रा0पे0यो0 - 1011/2014 444/म टना - 15 दिनांक :- 25/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई।

विषय - वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत जमुई जिला के खैरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन एवं पाँच वर्षों के लिए परिचालन तथा रख-रखाव कार्य हेतु 30.00 लाख रुपये (तीस लाख रुपये) मात्र का राज्यांश मद से आवंटन।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन एवं पाँच वर्षों के लिए परिचालन तथा रख-रखाव कार्य हेतु विभागीय पत्रांक - 6/रा0ग्रा0पे0यो0-1011/14 - 244, दिनांक - 28/01/15 द्वारा 1760.878 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें 880.439 लाख रुपये राज्यांश की राशि है। वर्ष 2017-18 में राज्य योजना से खैरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन एवं पाँच वर्षों के लिए परिचालन तथा रख-रखाव कार्य हेतु राज्यांश मद से 30.00 लाख रुपये (तीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन किया जाता है।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0312-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - विपत्र कोड - 36-4215017890312 - पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड - 9150 - विषय शीर्ष -- 0312.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

4. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि को खर्च नहीं किया जायेगा।

6. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक - एम0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 एवं पत्रांक - एम0 04 - 09/2014 - 3002 (वि0) दिनांक - 26-04-17 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

7. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

दिनांक 25/01/2018  
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)


अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापक - 444 (मू०)

पटना, दिनांक - 25/04/2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त, प्रधान सचिव / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमण्डलीय आयुक्त, मुँगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, जमुई / उप-विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / उप निदेशक (मू०) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई० टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)  
अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव